भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Dated .....

फा.सं.सी-42/16/2014-एमपीलैड्स **07.12.2015**

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः माननीय संसद सदस्यों को अस्वीकृति/स्वीकृति की सूचना प्रदान करते हुए कार्यों की स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा के कड़ाई से अनुपालन और कार्यों का यथासमय क्रियान्वयन ।

महोदय/महोदया,

1. एमपीलैड स्कीम का क्रियान्वयन जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय नियमों तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

2. मंत्रालय के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें एमपीलैड्स कार्यों की यथासमय स्वीकृति तथा उनके नियमानुसार निष्पादन की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया गया है । क्रियान्वयन में अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं । एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में कार्यों की स्वीकृति, निष्पादन के संबंध में समय-सीमा निर्धारित की गई है । जिला प्राधिकारियों से निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया जाता है ।

3. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा ।"

4. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.13 में कार्यों के पूर्ण होने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है:

> "स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी । संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।"

5. अनियमितताओं से बचने के लिए जिला और राज्य स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण अपेक्षित है । पैरा 6.4 (i) और (vi) में प्रावधान है कि:

(i) स्कीम के तहत जिला स्तर पर कार्यों के समस्त समन्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकारी उत्तरदायी होगा तथा प्रत्येक वर्ष क्रियान्वनाधीन कार्यों में से न्यूनतम 10% कार्यों का निरीक्षण करेगा । जिला प्राधिकारी को जहां तक व्यवहार्य हो, परियोजनाओं के निरीक्षण में संसद सदस्यों को शामिल करना चाहिए ।

(vi) जिला प्राधिकारी प्रत्येक माह और कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों के साथ क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को इन बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा ।

पैरा 6.3 (i) में स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नोडल विभाग की निम्नलिखित भूमिका का प्रावधान है:

> "नोडल विभाग, मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्यों में एमपीलैड्स कार्यान्वयन के संबंध में समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा । राज्य सरकार दिशानिर्देशों में पूर्व वर्णित जिला प्राधिकारियों की रैंक में पदानुक्रम में उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन विभाग/समर्पित प्रकोष्ठ को एमपीलैड्स कार्यों का समन्वयन एवं मॉनीटरिंग का कार्य सौंपेगी । इसके लिए, मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के

साथ, एक वर्ष में एक बार एमपीलैड्स कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए । ऐसी बैठकों में, नोडल विभागों के सचिव और अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी भाग लेना चाहिए । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को राज्य/जिला मॉनीटरिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भेजे जाने चाहिएं ।"

6. एमपीलैड स्कीम के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और विलंब से बचने के लिए जिला प्राधिकारियों/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों में दिए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए ।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड से संबंधित सभी नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।